

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	कोरिया जिले के कोरिया वनमण्डल अन्तर्गत सड़क किनारे (Road) में ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने बावत्।
i	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
ii	जिला	कोरिया
iii	वन प्रभाग	कोरिया वनमण्डल कोरिया, परिक्षेत्र-बैकुण्ठपुर, चिरमिरी, देवगढ़, खड़गवां, सोनहत एवं कोटाडोल
iv	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर)	कोरिया वनमण्डल - 3.309 हे. संरक्षित वन - 1.400 हे. आरक्षित वन - 1.707 हे. राजस्व वन - 0.202 हे.
v	वन कानूनी स्थिति	आरक्षित वन, संरक्षित वन, राजस्व वनभूमि
vi	हरियाली का घनत्व	>0.5
vii	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर.एल., एफ.आर.एल-2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	प्रकरण में सड़क के सामानांतर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जावेगी, किसी प्रकार के वृक्षों की कटाई नहीं की जावेगी।
viii	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	परिक्षेत्र बैकुण्ठपुर, चिरमिरी, देवगढ़, खड़गवां एवं सोनहत में स्थल सड़क के सामानांतर भूमि होने के कारण मृदा भू-क्षरण होने की संभावना नहीं है।
ix	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	परिक्षेत्र बैकुण्ठपुर, चिरमिरी, देवगढ़, खड़गवां एवं सोनहत एवं कोटाडोल में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित भूमि वन भूमि का ही भाग है
x	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां) अनुबंधित की जाये)	नहीं

(xi)	क्या क्षेत्रा में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं हैं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्रा में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं हैं।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की माँग न्यूनतम एवं आवश्यक हैं।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहें है।	नहीं हैं।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	आवश्यकता नहीं है।
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	आवश्यकता नहीं है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	आवश्यकता नहीं है।
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	आवश्यकता नहीं है।
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्रा की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्रा (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	आवश्यकता नहीं है।

11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	आवश्यकता नहीं है।
12	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	7122.757 वर्ग किलो मीटर
	(ii) जिले का वन क्षेत्र	4985.347 वर्ग किलो मीटर
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	32 प्रकरण 1848.591 हे. (725.350 हे. भू-सतह उपयोग एवं 1123.241 हे. अण्डर ग्राउण्ड)
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक :- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर	1863.914 हेक्टेयर निरंक
	(v) वर्ष 2015-2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :- (क) वन भूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर।	1863.914 हेक्टेयर निरंक
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	परियोजना में मात्र 3.309 हे. प्रस्तावित स्थल सड़क के समानांतर भूमि में OFC लाईन से संबंधित है एवं किसी भी प्रकार की पेड़ों की कटाई नहीं होगी तथा परियोजना हेतु अन्य विकल्पों का पता लगा लिये गया है। मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है। अतः उक्त कार्य हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति शर्तों के तहत प्रदाय करने की अनुशंसा की जानी है

दिनांक :- 05-12-2022

स्थान :- बैकुण्ठपुर

श्रीमती प्रभाकर खलखो

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर